सं.सी-14017/03/2016-सतर्कता
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 3 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सतर्कता प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सतर्कता मामलों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति किए जाने के लिए नामांकित किए जाने वाले अधिकारियों का पैनल बनाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग संबंधी जांच करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने का मुद्दा पहले से विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों/स्वशासी संगठनों से सेवानिवृत्त अधिकारियों के पैनल बनाए जाएंगे और इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता मामलों पर विभागीय जांच करने के लिए रखा जाएगा।

2. निम्नलिखित स्थानों पर विभागीय जांच के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार तथा स्वशासी संगठनों के कम-से-कम उप-सचिव अथवा इनके समान रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को जांच अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाने के लिए इनका एक पैनल बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(i) नई दिल्ली	(ii) पुणे	(iii) हैदराबाद
(iv) मुंबई	(v) चैन्नई	(vi) बेंगलुरू
(vii) कोलकाता	(viii) गोवा	(ix) लखनऊ
(x) गुवाहाटी	(xi) तिरुवनंतपुरम	(xii) भोपाल
(xiii) कोच्ची	(xiv) पटना	(xv) अहमदाबाद
(xvi) भुवनेश्वर		

3. विभागीय जांच किए जाने के प्रयोजनार्थ जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले केंद्र सरकार के कम-से-कम उप-सचिव स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों के पैनलों को स्तर/रैंक-वार और जहां इसके कार्यालय अवस्थित हैं, उन विशिष्ट स्थानों के आधार पर बनाया जाएगा। सतर्कता मामलों पर विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारी के तौर पर सेवा प्रदान करने के इच्छुक, कम-से-कम

- 2 -

उप-सचिव स्तर के केंद्र सरकार/केंद्र सरकारी स्वायत्त संगठनों के सेवानिवृत्त अधिकारियों से, संलग्न आवेदन पत्र के प्रपत्र के अनुरूप, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सतर्कता मामलों पर विभागीय जांच किए जाने के लिए जांच अधिकारियों के तौर पर नियुक्ति के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित पात्रता तथा अनुबंध व शर्तों पर विचार किया जाएगा।

(i) जांच अधिकारियों के तौर पर सेवा देने के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी अपने पैनलीकरण के वर्ष की 01 जनवरी को 70 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(ii) वह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य वाला होना चाहिए।

(iii) वह किसी भी लंबित जांच में अभियुक्त अधिकारी नहीं होना/होनी चाहिए और सत्यनिष्ठा के संदर्भ में उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूर्ण रूप से सही होना चाहिए।

(iv) जहां उन्होंने सेवा की है, उस कार्यालय से सतर्कता अनापत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए तथा इसके साथ समस्त सेवा अवधि के दौरान कोई शास्ति नहीं का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाए। अधिकारी को स्वयं भी यह प्रमाणित करता है कि उनके विरुद्ध सेवा के दौरान अथवा उसके बाद किसी भी समय कोई अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(v) सेवा निवृत अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन का ज्ञान हो तथा अपनी सेवा के दौरान कम से कम मामले में जांच अधिकारी के तौर पर अनुशासनिक मामले पर कार्यवाही की गई या इसका निपटान किया गया होना चाहिए।

(vi) अधिकारी को एक बार अनुशासिनक मामला सौंप दिए जाने के पश्चात उसे मामले के रिकार्ड की गोपनीयता बनाई रखी जानी चाहिए और सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के लिए किसी वैध कारण के बगैर सौंपे गए कार्य को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए।

(vii) एक जांच अधिकारी को एक वर्ष में सौंपे गए अनुशासनिक मामलों की संख्या 8 तक सीमित होगी और एक बार में अधिकतम 4 मामले ही सौंपे जाएंगे।

(viii) जांच अधिकारी के रूप में सेवा करने के इच्छुक सेवा निवृत अधिकारी का आवेदन पत्र पात्रता मानदंडों और निष्कलंक सेवा का रिकार्ड को पूरा करने वाला होना चाहिए।

(ix) यह कि वह जांच पड़ताल किए जाने वाले मामले में न तो साक्षी है अथवा न ही परिवादी है अथवा दोषी अधिकारी का ननिकट संबंधी है अथवा न ही जानकार मित्र.है।

(x) वह जांच पड़ताल के संबंध में उसके द्वारा एकत्र की गई जानकारी/डाटा अथवा प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों के संबंध में कड़ी गोपनीयता को बनाए रखेंगे/रखेंगी और वह इसका प्रयोग उन्हें सौंपे गए मामले की जांच पड़ताल के प्रयोजन हेतु ही करेंगे/करेंगी।

(xi) जांच अधिकारी अपने नियोक्ता विभाग/संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए सरकारी परिसरों में जांच पड़ताल संबंधी कार्यवाहियां संचालित करेंगे/करेंगी।

(xii) जांच अधिकारी सचिवालयी सहायता की व्यवस्था अपने ही स्तर पर करेगा/करेगी।

(xiii) जांच पड़ताल के दौरान अथवा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के समक्ष ऐसाकोई भी दस्तावेज/सूचना अथवा डाटा उजागर नहीं किया जाएगा। जांच अधिकारी के पास उपलब्ध सभी रिकार्ड या रिपोर्टेंजांच रिपोर्ट की प्रस्तुति के समय उस प्राधिकारी को विधिवत वापस की जाएंगी जिसने उसे नियुक्त किया है।

(xiv) जांच अधिकारी, जांच अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से 180 दिनों में जांच पूरी करने के बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 180 दिन के बाद समयावधि में विस्तार उक्त मामले की परिस्थितियों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

(xv) जांच अधिकारी को अदा किये जाने वाले मानदेय और अन्य भत्तोंकी दरों को डीओपीटी के दिनांक 15/09/2017 के ओएम. सं. 142/40/2015-एवीडी.I के आधार पर नियत किया जायेगा जो निम्नवत् है-

मद	श्रेणी	जांच की कार्यवाही पूरी करने में लिया गया समय	प्रति मामला दर (रुपये में)
मानदेय	'I'	जब अरोपपत्र में निर्दिष्ट गवाहों की संख्या 10 से अधिक हो	ली गई मासिक मूल पेंशन का 80 प्रतिशत
	'II'	जब आरोपपत्र में निर्दिष्ट गवाहों की संख्या 6 से 10 के बीच हो	ली गई मासिक मूल पेंशन का 60 प्रतिशत
	'III'	जब आरोपपत्र में निर्दिष्ट गवाहों की संख्या 6 से कम हो	ली गई मासिक मूल पेंशन का 50 प्रतिशत

यात्रा भत्ता			रु. 40,000/- प्रति मामला इस शर्त के अध्यधीन कि हवाई/रेल एसी-I की आउट स्टेशन यात्रा के वास्तविक खर्चे की प्रतिपूर्ति इसके साथ-साथ की जाएगी। बशर्ते कि सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लिया गया है और आउट स्टेशन की हवाई यात्रा सेवानिवृत्ति पूर्व उनकी स्थिति के अनुसार हकदार श्रेणी के सबसे सस्ती टिकट पर एयर इंडिया द्वारा की जाएगी और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार टिकटों को प्राधिकृत/अनुमेय स्रोतों से योजित किया जाना होगा। यदि यात्रा एयर इंडिया से नहीं की जाती है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत, एयर इंडिया से इतर अन्यएयरलाइन्स में यात्रा की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी तरह,ट्रेन से यात्रा भी सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकारी को अनुमत श्रेणी केतहत अनुमत/प्रतिबंधित की जाएगी। गवाहो, जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, को भी कथित श्रेणी की यात्रा के लिए पूर्वअनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा और वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार टिकटों को प्राधिकृत/अनुमेय स्रोतों से बुक किया जाएगा।
सचिवालयी सहायता	'I'	जहां आरोपपत्र में निर्दिष्ट गवाहों की संख्या 10 से अधिक हो	रु. 40,000/-
	'II'	जहां आरोपपत्र में निर्दिष्ट गवाहों की संख्या 6 से 10 के बीच हो	रु. 30,000/-
	'III'	जहां आरोपपत्र में निर्दिष्ट गवाहों की संख्या 6 से कम हो	रु. 20,000/-

(xvi) अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के पश्चात् ही जांच अधिकारी को भुगतान किया जाएगा। यदि न्यायालयों इत्यादि द्वारा रोक लगा देने के कारण मामले पर कार्रवाई करना संभव न हो तो, जांच अधिकारी को उसकी डयूटियों से मुक्त कर दिया जाएगा तथा मानदेय एवं अन्य भत्तों का भुगतान आनुपतिक आधार पर किया जाएगा।

(xvii) जांच अधिकारी द्वारा भुगतान प्राप्त करने से पहले उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि:-

(क) सभी मामला रिकॉर्डों एवं जांच रिपोर्ट (सभी पृष्ठों पर नीली स्याही से हस्ताक्षरित प्रतियां) को उचित तरीके से प्रलेखित एवं व्यवस्थित किया गया है तथा उन्हें अनुशासनिक प्राधिकारी को सौंप दिया गया है।

(ख) आरोप के प्रत्येक उस खंड के संबंध में रिपोर्ट में उसके निष्कर्षों को दर्शाना आवश्यक है जिनके बारे में जांच की गई है तथा यदि आरोपित अधिकारियों द्वारा मौजूदा नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो प्रक्रियात्मक प्रत्येक आपत्ति को विशेष रूप से डील किया जाना चाहिए तथा उसका समाधान करना चाहिए।

(ग) जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए तथा इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए कि विभागीय जांच करने के लिए अनुशासनात्मक एवं अपील नियमावली के संगत नियमों/अनुदेशों के अनुसार उन सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है जिनसे अपराधी सरकारी कर्मचारी शासित होते हैं।

(घ) अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के नियमों/अनुदेशों के अनुसार सी.ओ. से सामान्य पूछताछ की जानी चाहिए।

(ङ.) समस्त रिकॉर्ड सभी पृष्ठों पर नीली स्याही से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड में लिए गए दस्तावेज पठनीय होने चाहिए तथा उनके कोने फटे हुए अथवा पृष्ठों का कोई भी हिस्सा गंदा नहीं होना चाहिए। सी.ओ. के दस्तावेज भी पठनीय होने चाहिए तथा सभी पृष्ठों को नीली स्याही से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड में ली गई जांच रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों पर क्रमिक रूप से पृष्ठ सं. अंकित होनी चाहिए तथा उन्हें सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। दस्तावेजों को समुचित रूप से शीर्षक दिया जाना चाहिए तथा उन्हें दैनिक आदेश पत्रों, अभियोजन प्रदर्शों, रक्षा प्रदर्शों, पीओ/सीओ के साक्ष्यों के विवरण, सामान्य पूछताछ, डीए/सीओ के साथ पत्राचार, पीओ सार/सीओ सार इत्यादि को भली- भांति सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

(xviii) जिन जांच अधिकारियों का कार्य-निष्पादन मानकों के अनुरूप नहीं होगा उनकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से समाप्त कर दी जाएंगी।

6. जांच अधिकारी रिकॉर्डों, स्टेशन/स्थान, पीओ इत्यादि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्थान पर जांच संबंधी कार्यवाही करेगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए आईओ/पीओ/सीओ द्वारा की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम करने के लिए अधिकतम संभावित सीमा तक वीडियो कांफ्रेंसिंग का उपयोग किया जाना चाहिए।

7. पात्र अधिकारियों से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवेदनों की छानबीन की जाए तथा जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए पात्र आवेदनों की लघु सूची बनाई जाए। पैनल की अवधि 3 वर्ष अथवा नया पैनल बनाए जाने तक के लिए होगी।

8. जिन जांच अधिकारियों का कार्य-निष्पादन मानकों के अनुरूप नहीं होगा उनकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से समाप्त कर दी जाएगी।

9. आवेदन पत्र इस कार्यालय को 17.01.2022 से पहले भेजें।

10. जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं विचारार्थ पात्र आवेदक अपने आवेदन पत्र अवर सचिव (सतर्कता), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 414 ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को अग्रेषित करें।

31.12.21

(एस.श्रीधर)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि:

(i) अवर सचिव (सीडीएन-I) को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परिचालित करें तथा इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड भी करें ताकि इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन कर सकें।

(ii) अवर सचिव (एवीडी-I), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर परिचालित करें।

विभागीय जांच करने हेतु जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन

1	अधिकारी का नाम (साफ अक्षरों में)	:	
2	सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि	:	
3	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को आयु	:	
4	सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित अंतिम पद	:	
5	सेवा के दौरान मंत्रालय एवं धारित पद का विवरण	:	
6	क्या सेवानिवृत्ति के समय धारित पद उप सचिव/निदेशक के समकक्ष के स्तर अथवा संयुक्त सचिव एवं उससे ऊपर के स्तर आहरित मूल पेंशन की राशि का है?	:	
7	क्या कभी आपको जांच अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है?	:	
8	यदि हां, तो की गई जाँचों की संख्या के साथ, उसका ब्यौरा दें	:	
8(क)	यदि नहीं,तो अनुशासनात्मक मामलों के संचालन को डील करने के संबंध में अनुभव/ज्ञान का ब्यौरा दें	:	
9	क्या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए थे अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी	:	
10	क्या सेवा के दौरान कोई दंड अधिरोपित किया गया था यदि हां, तो विवरण दें	:	
11	उस कार्यालय से सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है जहां अंतिम सेवा की थी	:	जी हां/नहीं
12	संपूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है	:	जी हां/नहीं

13 प्रमाणित किया जाता है कि मेरे सेवाकाल के दौरान अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय मेरे विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं हैं।

14 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी सही है तथा किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम एवं वर्तमान पता
तथा संपर्क नंबर
(मोबाइल नं.
लैंड लाइन (यदि हो)
ई मेल:

स्थान:
दिनांक: